

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर

कमाक / नर्सिंग / सामान्य-नर्स-2 / नियम 0 / स्थाई / बीकानेर / 2019 /

दिनांक-

आदेश

निदेशालय के आदेश कमाक नर्सिंग/नर्स-2 (सीधी भर्ती-2013)/2016/230 दिनांक 09.08.16 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थायी करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम सख्या 07 में दर्शायी गयी तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम 2017 एव वित्त विभाग के आदेश कमाक एफ 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 एव 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुषोत्तम	15.02.91	बीकानेर	19.08.16	18.08.18	19.08.18
2	सुभिता कुमारी	15.08.86	बीकानेर	07.09.16	06.09.18	07.09.18
3	सुनिता	10.07.89	बीकानेर	29.08.16	28.08.18	29.08.18

— 52 —

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।

कमाक / नर्सिंग / सामान्य-नर्स-2 / नियम 0 / स्थाई / बीकानेर / 2019 / 93

दिनांक - 4/4/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, बीकानेर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
- 3 सबधित्त कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर, रूम मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
- 5 आदेश पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।